# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –34 / 2024 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2024 / 158

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोटा पता–ए–504, इन्द्रा विहार, कोटा राज0

––प्रार्थी.

*बनाम*

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. महेश गंगवाल पुत्र रामकल्याण गंगवाल ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. अनन्त गंगवाल पुत्र रामकल्याण गंगवाल ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. सतीश गंगवाल पुत्र रामकल्याण गंगवाल ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. श्रीमति राजेश तिवाडी पत्नि ओमप्रकाश ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
7. श्रीमति आशा शर्मा पत्नि राजेश मोहन शर्मा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी
8. चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
9. जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र लक्ष्मण गुप्ता ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
10. श्रीमति वंदना गुप्ता पत्नि पवन गुप्ता ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
11. मनमोहन तिवाडी पुत्र सूरजमल शर्मा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
12. श्रीमति दीपा पारेता पत्नि प्रेमचन्द पारेता ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
13. हीरालाल पुत्र बालाराम रेबारी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
14. श्रीमति शारदा देवी पत्नि महेशचन्द शर्मा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
15. सुरेश चन्द नामा पुत्र नन्दलाल नामा छीपा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
16. नन्दलाल अहीर पुत्र लक्ष्मीनारायण अहीर ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
17. फूलचन्द अहीर पुत्र राधाकिशन अहीर ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
18. दिनेश कुमार पुत्र कालूराम धाकड ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
19. कुन्जबिहारी पुत्र रामेश्वर नागर धाकड़ ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
20. त्रिलोकचन्द नागर पुत्र रत्तिराम धाकड ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

21. श्रीमति भंवरी बाई पत्नि मोडूलाल ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
22. दुर्गाशंकर पुत्र लक्ष्मीचन्द शर्मा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
23. श्रीमति कौशल्या बाई पत्नि गोपाल अहीर मवासा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
24. रामकरण गुप्ता पुत्र चतुर्भुज गुप्ता ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
25. पूरीलाल पुत्र किशनलाल फाण्दा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
26. महेशचन्द पुत्र घनश्याम शर्मा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
27. हेमन्त तिवारी पुत्र जगदीश चन्द तिवारी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
28. दिनेश कुमार प्रजापति पुत्र कंवरलाल ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
29. श्रीमति कमलेश बाई पत्नि दिनेश कुमार प्रजापति ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
30. सांवरलाल अहीर पुत्र मदनलाल ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
31. कृष्ण गोपाल पुत्र रामचन्द्र अहीर रीछी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
32. पंकज नन्दवाना पुत्र ओमनारायण नन्दवाना ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
33. सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप लोहार ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
34. पवन कुमार मालवी पुत्र रामस्वरूप लौहार ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
35. बजरंगलाल पुत्र मोडूलाल लुहार ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
36. हरिश कुमार पुत्र प्रेमचन्द लुहार ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
37. विद्या देवी शर्मा पत्नि लोकेश शर्मा ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
38. दुर्गाशकर पुत्र सालगराम लुहार ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
39. सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप लोहार ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अप्रार्थी.

मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्व अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 द्वारा विपक्षी संख्या 01 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

उपस्थितः–

1. श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक अप्रार्थीगण 2 लगायत 39

# निर्णय

दिनांक :–07.10.2024

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन दिल्ली –बडोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना के निमार्ण एवं अनुरक्षण के लिए तहसील रामगंजमण्डी की अन्य भूमियों के साथ ग्राम चेचट स्थित खसरा नम्बर 1914 की 1.0020 हे0 सिवायचक भूमि का 00/–अवार्ड आदेश दिनांक 11.01.2021 एवं 22.03.2021 पारित किया गया । परन्तु एस0डी0ओ0 रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 11/2020 दायर दिनांक 30.01.2020 निर्णय दिनांक 15.3.2023 से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अनुसार खसरा नम्बर 1914 को आबादी घोषित किया जाने से निर्णय की पालना में गत खसरा नम्बर 1914 का नवीन खसरा नम्बर 3133/2566 का रकबा 1.0029 हे0 का नवीन अवार्ड आदेश अधिनिर्णय दिनांक 18.07.2024 से जारी किया गया ।
2. उक्त अवार्ड आदेश के विरूद्व प्रार्थी एनएचएआई द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 22.08.2024 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए के तहत जारी अधिसूचना के परिपेक्ष्य में जो आपत्तियां की गई उनका धारा 3सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया । केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1914 वाके ग्राम चेचट की प्रकृति गैर मुमकिन पठार एवं हितबद्व सिवायचक सरकारी भूमि अंकित थी के संबंध में अप्रार्थी सं0 2 लगायत 39 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं की गई । तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना केन्द्र सरकार को भेजी गई जिसके आधार पर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 16.12.2019 एवं 31.12.2019 को अधिसूचना जारी की गई । उक्त खसरा नं0 1914 ग्राम चेचट में 3डी की अधिसूचना के तहत अवाप्त रकबा 0.4878 हे0 व 0.5142 हे0 कुल रकबा 1.0020 हे0 भूमि का अवार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सिवायचक सरकारी भूमि होने से उक्त भूमि का 00/– रूपये का अवार्ड आदेश दिनांक 11.01.2021 एवं 22.3.2021 को पारित किया गया । इसके उपरान्त अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 15.3.2023 मिसल संख्या 11/2020 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 136 अनुसार खसरा नम्बर 1914 को आबादी घोषित किया गया । अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 1914 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय 15.3.2023 के अनुसार नया खसरा नम्बर 3133/2566 बनाया जाकर ग्राम चेचट में से अवाप्त रकबा 1.0029 हे0 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबादी भूमि मानते हुए हितबद्व के नाम दिनांक 18.7.2024 को अवार्ड अधिनिर्णय घोषित किया गया । उक्त अवार्ड अधिनिर्णय दिनांक 18.7.2024 सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 15.3.2023 के अनुसार किया गया है । उक्त दावा मिसल संख्या 11/2020 उनवान कमलेश वगै0 बनाम सुरेश वगै0 एवं 15/2020 उनवान महेश गंगवाल बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत किया गया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं0 02 लगायत 39 को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से विधि विरूद्व प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विरूद्व नॉन स्पीकिंग अवार्ड पारित किया है जिसका सक्षम प्राधिकारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । जिसको निरस्त किया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 18.07.2024 की अप्रसन्नता में प्रार्थी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 3जी–5 एनएच एक्ट 1956 के तहत दिनांक 22.08.2024 को प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 2 लगायत 39 की ओर से अभिभाषक श्री मनोज कुमार मन्त्री का वकालतनामा पेश हुआ ।

जिला कलेक्टर
कोटा

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा लोकहित को देखते हुए राजस्थान राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे के भूखण्ड के निमार्ण अनुरक्षण,प्रबंधन और प्रचारण के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 व 09.09.2020 को जारी की गई जिसमें आपत्तियां प्राप्त की गई । धारा 3सी के तहत प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया । केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1914 वाके ग्राम चेचट की प्रकृति गैर मुमकिन पठार एवं हितबद्व सिवायचक सरकारी भूमि अंकित थी, के संबंध में अप्रार्थी सं0 2 लगायत 39 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी । 3ए अधिसूचना के परिपेक्ष्य में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई जिसके आधार पर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 16.12.2019 एवं 31.12.2020 को अधिसूचना जारी की गई । 3डी अधिसूचना के बाद समस्त भूमियां आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो चुकी है । उक्त खसरा नं0 1914 ग्राम चेचट में 3डी की अधिसूचना के तहत अवाप्त रकबा 0.4878 हे0 व 0.5142 हे0 कुल रकबा 1.0020 हे0 भूमि का अवार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सिवायचक सरकांरी भूमि होने से उक्त भूमि का 00/– रूपये का अवार्ड आदेश दिनांक 11.01.2021 एवं 22.3.2021 को पारित किया गया । इसके उपरान्त अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 15.3.2023 मिसल संख्या 11/2020 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 136 अनुसार खसरा नम्बर 1914 को आबादी घोषित किया गया । अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 1914 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय 15.3.2023 के अनुसार नया खसरा नम्बर 3133/2566 बनाया जाकर ग्राम चेचट में से अवाप्त रकबा 1.0029 हे0 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबादी भूमि मानते हुए हितबद्व के नाम दिनांक 18.7.2024 को अवार्ड अधिनिर्णय घोषित किया गया । उक्त अवार्ड अधिनिर्णय दिनांक 18.7.2024 सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 15.3.2023 के अनुसार किया गया है । उक्त दावा मिसल संख्या 11/2020 उनवान कमलेश वगै0 बनाम सुरेश वगै0 एवं 15/2020 उनवान महेश गंगवाल बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत किया गया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं0 02 लगायत 39 को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से विधि विरूद्व प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विरूद्व नॉन स्पीकिंग अवार्ड पारित किया है जिसका सक्षम प्राधिकारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण द्वारा जो वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वह राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के पश्चात गलत तरीके से राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था । भारत सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया । जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार अवार्ड आदेश घोषत कर दिया है तो पुनः उसको कोई अवार्ड आदेश घोषित करने का अधिकार नहीं रहता है । इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी स्वयं के आदेश से Functus officio हो गये है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में विबंधन का स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई आदेश या अवार्ड पारित किया जा चुका हो तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत अपने द्वारा पारित अवार्ड आदेश को पुनः विचारण कर निर्धारण करने से विबंधित है । ऐसी स्थिति में स्वयं सक्षम प्राधिकारी अपने द्वारा पारित निर्णय से कानूनन विबंधित है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 विधि के प्रावधानों के स्पष्टतया विरूद्व पारित

किया गया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 39 के पक्ष में पारित अवार्ड दिनांक 18.7.2024 वह भाग जिससे अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 39 के पक्ष में अवार्ड आदेश पारित फरमाया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें ।

5. वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि खसरा नं0 1814 की रेवेन्यू रेकार्ड में सिवायचक भूमि दर्ज थी इस कारण उक्त खसरे के रकबे के संबंध में अवार्ड नहीं बनाया गया । भूमि अवाप्ति विज्ञप्ति के प्रकाश के पूर्व ही वर्ष 2006 में जिला कलक्टर महो0 के आदेश कमांक प.15 (10) राजस्व/ III/ 2006/ 5602–5606 दिनांक 15.2.2006 के आदेश एवं तत्कालीन तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश कमांक 318–19 दिनांक 6.6.2007 से उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज करने हेतु आदेश दिया गया इसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 2245 ग्राम चेचट में भूमि अवाप्ति को अमल करने के लिए स्वीकृत किया गया इसके उपरान्त मौके पर प्लानिंग बनाकर ग्राम पंचायत चेचट द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 लगायत 39 को पट्टेजारी किये गये जिनका रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक चेचट द्वारा किया गया क्योंकि इस भूमि की मालिक ग्राम पंचायत चेचट थी । इस प्लानिंग को एन एच ए आई द्वारा सुपर इम्पोज कराने, अवाप्त पट्टा का विन्हिकरण करने पर प्रार्थीगण द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 के तहत न्यायालय एसडीएम रामगंजमण्डी के यहां प्रकरण प्रस्तुत करने पर निर्णय किया गया । गजट नोटिफिकेशन के पूर्व ही उक्त भूमि आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत चेचट की निजी भूमि होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 39 को भूखण्ड जारी किये गये थे । राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा 3सी के अन्तर्गत धारा 3ए की उदघोषणा दिनांक 30.9.2019 एवं 9.9.2020 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आपत्तियां इसलिये प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि एन एच ए आई एवं उसकी कार्यकारी एजेन्सी पी.आई.यू. द्वारा इस समय तक मौके पर आर.ओ.डब्ल्यू चिन्हित नहीं किये गये थे, इस कारण से अप्रार्थीगण को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि अप्रार्थीगण के भूखण्ड इस अवाप्ति से प्रभावित हुए है या नहीं । इसके उपरान्त चिन्हित आर ओ डब्ल्यू तीन बार परिवर्तित किये गये इसलिए अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में उस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई थी । वर्ष 2006 में जिला कलक्टर कोटा के आदेश से वादग्रस्त भूमि के आबादी हेतु आदेश किये गये । जिसका नामान्तरकरण संख्या 2245 ग्राम चेचट में से भूमि अवाप्ति को अमल करने के लिए स्वीकृत किया गया । इसके उपरान्त मौके पर प्लानिंग बनाकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी कर दिये । यदि भूमि सिवायचक होती तो ग्राम पंचायत उक्त भूमि के पट्टे अप्रार्थी सं0 3 लगायत 39 के नाम जारी नहीं करती । मात्र सेटलमेन्ट ऑपरेशन में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने के लिए ही उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 3डी डिक्लेयर होने के पश्चात उक्त अवाप्त भूमि में किसी तरह का निमार्ण, बेचान अवैध है परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 39 के पास भूखण्ड का स्वामित्व 3ए की उदघोषणा से भी 10 वर्ष पूर्व जारी किया हुआ है तथा उक्त पट्टा आज भी वैध है किसी भी न्यायालय या पंचायत द्वारा उक्त पट्टे को खारिज नहीं किया गया है । इस कारण अवार्ड दिनांक 18.7.2024 के अनुसार प्रार्थीगण अवार्ड की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है । जिला कलक्टर कोटा के सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 15.2.2006 एवं तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश कमांक 318–19 दिनांक 6.6.2007 के अनुसार ग्राम पंचायत चेचट द्वारा जारी किये गये भूखण्डो के पट्टे उचित है । उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 15.3.2023 एवं जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 15.2.2006 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 6.6.2007के अनुसार ग्राम पंचायत चेचट द्वारा जारी किये गये भूखण्डों के पट्टे उचित है । इस प्रकार अवार्ड दिनांक 18.7.2024 के अनुसार अप्रार्थी सं0 3 लगायत 39 अवार्ड में वर्णित मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है । अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण लम्बे समय से मुकदमे लड रहे है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि अवाप्त की जाकर उस पर रोड निमार्ण किया जाकर अप्रार्थीगण को अभी तक अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में बिना राशि भुगतान किये ही टोल शुल्क

जिला कलक्टर
कोटा

वसूल कर रही है । अप्रार्थीगण को लम्बे समय से अवार्ड की राशि प्राप्त करने हेतु समय श्रम व धन बिना किसी कारण के खर्च करना पड रहा है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 1,00,000/– कोस्ट पर सव्यय निरस्त फरमाया जावें ।

6. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कोटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के भूखण्ड के निर्माण एवं उसका अनुरक्षण प्रबंधन के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत दिनांक 30.9.2019 व 30.9.2020 को जारी की गई, धारा 3सी के अनुसार 21 दिन तक सुनवाई की गई एवं प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण भी नियमानुसार किया गया । यह सही है कि खसरा नम्बर 1914 ग्राम चेचट गै0मु0 पठार एवं सरकारी भूमि अंकित थी । 3ए की अधिसूचना के संबंध में केवल अवाप्ति के विरूद्व संबंधित आपत्ति ही सुनवाई के लिए स्वीकृत की जाती है तो अवाप्त करने के मामले में अप्रार्थी संख्या 2 से 39 द्वारा आज भी विरोध नहीं है और अधिसूचना के समय भी नहीं था । अधिसूचना के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त है परन्तु न्यायालय के निर्णय अनुसार अवाप्त भूमि पर कार्यवाही अमल में लाई गई है । अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय निर्णय दिनांक 15.3.2023 के धारा 136 के निर्णय अनुसार अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 1914 आबादी घोषित की गई । धारा 136 में सेटलमेंट द्वारा की गई त्रुटि को दस्तावेजों से जांच करके दुरस्ती करने का उपखण्ड अधिकारी को अधिकार प्राप्त है । मुताबिक निर्णय उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अमल होकर आबादी ग्राम पंचायत चेचट हो चुकी है । इस खसरा नम्बर को आबादी में जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 15.2.2006 एवं तत्कालीन तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 6.6.2007 से उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसके उपरान्त नामान्तरकरण 2245 ग्राम चेचट में अवाप्ति भूमि को अमल करने के लिए स्वीकृत किया गया है एवं अमल दरामद होने के पश्चात अप्रार्थी 2 से 39 तक एवं अन्य व्यक्तियों को उक्त खसरा नम्बर में आवासीय भूखण्ड ग्राम पंचायत चेचट द्वारा दिये गये इन्ही दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा धारा 136 के अन्तर्गत स्वामित्व परिवर्तन का आदेश दिया गया एवं राजस्व रेकार्ड में अमल होने के बाद उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 को स्वीकृति हेतु नियमानुसार एनएचएआई कोटा को भिजवाया गया है । अवार्ड निर्णय घोषित करते समय पूर्व में अधिसूचित धारा 3ए व 3डी एवं 3जी के प्रकाशन का अधिनियम 1956 के अनुसार ही किया गया है । खसरा नम्बर 1914 की रकबा 0.4878 व 0.5142 कुल 1.0020 हे0 भूमि को सिवायचक मानते हुए पूर्व में अवार्ड राशि घोषित नहीं की गई है । इस खसरा नम्बरान का अवार्ड प्रथम बार ही खसरा नं0 1914 का निर्णय अनुसार परिवर्तित खसरा नम्बरान 3133/2566 की रकबा 1.0020 हे0 का अवार्ड बनाया गया है । सक्षम प्राधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 विधिवत प्रावधानों के अनुसार ही स्वीकृति हेतु भेजा गया है । अप्रार्थी 02 से 39 को किसी भी तरह की अवांछनीय लाभ पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है । अप्रार्थी नं0 2 से 39 तक एवं अन्य भूखण्डधारियों का रेवेन्यू रेकार्ड का सुपर इम्पोज कराके अप्रार्थी चिन्हित किये गये है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 को निरस्त कराने के लिए पेश करते हुए तर्क दिया है कि ग्राम चेचट की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1914 की प्रकृति गैर मुमकिन पठार है सिवायचक राजकीय भूमि होने से उक्त भूमि का 00/– रूपये का अवार्ड आदेश दिनांक 11.01.2021 एवं 22.3.2021 को पारित किया गया । किन्तु 3डी की अधिसूचना के पश्चात वादग्रस्त भूमि पूर्णरूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जाने के उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद संख्या 11/2020 में पारित निर्णय दिनांक 15.3.2023 राजस्थान भू

जिला कलेक्टर
कोटा

राजस्व अधिनियम 136 अनुसार खसरा नम्बर 1914 को आबादी घोषित करने से 1914 के नवीन खसरा नम्बर 3133/2566 रकबा 1.0020 हे0 सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबादी भूमि मानते हुये हितबद्व के नाम अवार्ड आदेश 18.7.2024 को जारी कर दिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं होना बताया है । इसके विपरीत वकील अप्रार्थी का कथनानुसार वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर कोटा के पूर्व आदेश कमांक प.15(10) राजस्व ।।/2006 /5602–5606 दिनांक 15.2.2006 एवं तत्कालीन तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश कमांक 318–19 दिनांक 6.6.2007 से तत्कालीन खसरा नम्बर 1914 गैर मुमकीन पठार की भूमि को रेकार्ड में आबादी दर्ज करने के आदेश किये गये, में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी नं0 3 लगायत 39 के नाम पट्टे जारी किये गये है, जिनका रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक चेचट द्वारा किया गया । क्योंकि इस भूमि की मालिक ग्राम पंचायत चेचट थी । इस प्लानिंग को एन एच ए आई द्वारा सुपर इम्पोज कराने, अवाप्त पट्टा का चिन्हिकरण करने पर प्रार्थीगण द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 के तहत न्यायालय एसडीएम रामगंजमण्डी के यहां प्रकरण प्रस्तुत करने पर दिनांक 15.3.2023 को निर्णय पारित किया जाकर वादग्रस्त भूमि को आबादी में दर्ज करने के आदेश किये है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1914 को कार्यालय जिला कलक्टर कोटा आदेश कमांक प.15(10) राजस्व ।।/2006 /5602–5606 दिनांक 15.2.2006 एवं तत्कालीन तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश कमांक 318–19 दिनांक 6.6.2007 से तत्कालीन खसरा नम्बर 1914 गैर मुमकीन पठार की भूमि को रेकार्ड में आबादी दर्ज करने के आदेश किये गये थे किन्तु दौराने सेटलमेन्ट इसका अमल नहीं होने से सिवायचक दर्ज रहा । सिवायचक का अवार्ड आदेश दिनांक 11.01.2021 एवं 22.3.2021 से 00/– पारित किया गया । किन्तु सेटलमेन्ट की त्रुटि को दुरूस्त कराने का वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम का एसडीओ रामगंजमण्डी में पेश होने पर निर्णय दिनांक 15.3.2023 से दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1914 आबादी घोषित की जाने से खसरा नम्बर 1914 का परिवर्तित खसरा नम्बर 3133/2566 रकबा 1.0020 हे0 का अवार्ड बनाया गया है । प्रार्थी का यह कथन यहां तक सत्य है कि एक बार अवार्ड जारी होने के पश्चात पुनः उन्हीं खसरा नम्बरान का अवार्ड जारी करने का सक्षम प्राधिकारी को बिना स्वीकृति के अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में आबादी भूमि होने से पुनः अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 जारी किया गया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है. ।

9. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिकरूप से स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया खारिज किया जाता है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा जारी अवार्ड आदेश दिनांक 18.7.2024 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा